



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 433]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 4, 2004/आश्विन 12, 1926

No. 433]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 4, 2004/ASVINA 12, 1926

कम्पनी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 2004

सा.का.नि. 655(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 620क की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त अधिनियम की धारा 209क के अधीन किए गए निरीक्षण की रिपोर्ट में उपलब्ध सामग्री तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर यह समाधान हो जाने पर कि कम्पनी, अर्थात् मैसर्स सिंह म्यूचुअल बेनीफिट कम्पनी लिमिटेड, हलद्वानी, नैनीताल निधि कम्पनी के रूप में कार्य नहीं कर रही है, भारत सरकार के तत्कालीन विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (कम्पनी कार्य विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 163, तारीख 18 मार्च, 1993 द्वारा ऊपर नामित कम्पनी को "निधि" के रूप में मंजूर की गई घोषणा को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विखण्डित करती है।

[फा. सं. 5/29/2004-सी. एल.-V]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

टिप्पण : अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 163, तारीख 18 मार्च, 1993 भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) तारीख 27 मार्च, 1993 में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2004

G.S.R. 655(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (2) of Section 620A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and on the basis of material available in the Inspection Report carried out under Section 209A of the said Act as well as on the information furnished by Reserve Bank of India, the Central Government having satisfied that the company, namely M/s. Singh Mutual Benefit Company Limited, Haldwani, Nainital does not function as a Nidhi Company, hereby rescinds the declaration granted to the above named company as 'NIDHI' vide notification of the Government of India, erstwhile Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Department of Company Affairs) G.S.R. 163, dated the 18th March, 1993 with effect from the date of publication of this notification.

[F. No. 5/29/2004-CL-V]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

Note : The Notification G.S.R. 163, dated 18th March, 1993 was published in the Gazette of India dated the 27th March, 1993 in Part II, Section 3, Sub-section (i).